

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 170/2025

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जसपाल सिंह जाति जट सिख निवासी चक 5 एस. आर.
डब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. जशनदीप कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 5 एस.आर.
डब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. फलवन्त कौर पत्नी टीका सिंह (फौत)
- 1 / 1 गुरमुख सिंह पुत्र टीका सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी ख्यालीराम वाली तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 1 / 2 कुलदीप सिंह पुत्र टीका सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी ख्यालीराम वाली तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 1 / 3 लखवीर कौर पुत्री टीका सिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी चक 5 एस.
डी.एस., तख्तहजारा, बावरियों वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. जलौर सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी ख्यालीराम वाली, सुरेवाला
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. जसपाल कौर पत्नी इन्द्रपाल सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी ख्यालीराम वाली, सुरेवाला
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. परमजीत कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी ख्यालीराम वाली, सुरेवाला
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री बलविन्द्र थिन्द व प्रतिवादी वकील निर्माण सिंह खिण्डा अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
के किला न0 4/1/0.228, 4/2/0.025 हैक्टेयर 7/0.253 हैक्टेयर, 14/0.062
हैक्टेयर उतरी दिशा भूमि कुल 0.568 है0 भूमि के ब0हि0व0

प्रतिवादीगण स० 1/1 से 1/3, चक 5 एस. आर.डब्ल्यू. के खाता स० 9/44 के प० न० 212/272 मु० न० 13 के किला न० 14/0.191 दक्षिण दिशा ब०हि०ब०

प्रतिवादीगण स० 2 ता 3 प० न० 213/273 मु० न० 19 के किला न० 1 ता 2, 9, 10, 11, 12 ब०हि०ब० कुल 1.518 हैक्टेयर

प्रतिवादी स० 4 प० न० 213/272 मु० न० 12 के किला न० 21 व 22 कुल 0.506 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। 5 एस.आर. डब्ल्यू के खाता स० 9/44 में कलवंत कौर का नाम कलमजन किये जावे व वादीया स० 2 का नाम जसनदीन कौर के स्थान जशनदीप कौर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/7/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सात्यभारायण राव)
उपस्थान्त अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।